न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

डा0 मुन्नीराम बागड़िया
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 56/2016

श्रवण सिहं पुत्र पुमू सिहं जाति राजपूत निवासी त्यौन्दा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
–अपीलान्ट

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार खेतड़ी, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं।
– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 12.08.2016
न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रवण सिहं
मु.न. 40/2016, अ. धारा 91 राज. भू. राज. अधि. 1956

उपस्थिति:–

1 .श्री कायम सिहं शेखावत एडवोकेट ——————————अपीलान्ट की ओर से ।

2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट——————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 26.12.2017

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 12.08.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम श्रवण सिहं मु.न. 40/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि :– ग्राम त्यौन्दा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1025/2 किस्म गै.मु. रड़ा के रकबा 0.02 हैक्टर मे ईंट, सीमेन्ट के टिनशैड, रोड़ी डालकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई जो की बिल्कुल ही गलत व निराधार है। क्योकि मौके पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस पर गौर नहीं करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों से ही कब्जा चला आ रहा है इसलिए अतिक्रमण करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पटवारी हल्का ने दीगर व्यक्ति की झुठी शिकायत पर ही उक्त गलत रिपोर्ट

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

तैयार कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मान लिया है। अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया जिसकी पैनल्टी अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई गई थी तथा उक्त विवादित भूमि बाबत सिविल न्यायालय खेतड़ी ने रमेश सिहं बनाम सरकार के नाम से वाद लम्बित है। जिसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही उक्त निर्णय कर दि अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया जिसकी पैनल्टी अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई गई थी तथा उक्त विवादित भूमि बाबत सिविल न्यायालय खेतड़ी ने रमेश सिहं बनाम सरकार के नाम से वाद लम्बित है। जिसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही उक्त निर्णय कर दिया। अपीलान्ट को गलत तौर से पश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर न्यायालय ने तीन माह की सिविल कारावास से दण्डित किया है। जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अतः अपीला अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 12.08.2016 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि ग्राम त्यौन्दा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1025/2 किस्म गै.मु. रड़ा के रकबा 0.02 हैक्टर मे ईट, सीमेन्ट के टिनशैड, रोड़ी डालकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा पेश की गई जो की बिल्कुल ही गलत व निराधार है। क्योकि मौके पर अपीलान्ट ने किसी प्रकार कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इस पर गौर नहीं करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पूर्वजों से ही कब्जा चला आ रहा है इसलिए अतिक्रमण करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। पटवारी हल्का ने दीगर व्यक्ति की झुठी शिकायत पर ही उक्त गलत रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को अतिक्रमी मान लिया है। अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया जिसकी पैनल्टी अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई गई थी तथा उक्त विवादित भूमि बाबत सिविल न्यायालय खेतड़ी ने रमेश सिहं बनाम सरकार के नाम से वाद लम्बित है। जिसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही उक्त निर्णय

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

कर दि अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया गया जिसकी पैनल्टी अपीलान्ट द्वारा जमा करवाई गई थी तथा उक्त विवादित भूमि बाबत सिविल न्यायालय खेतड़ी ने रमेश सिहं बनाम सरकार के नाम से वाद लम्बित है। जिसमें अभी तक फैसला नहीं हुआ है। उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही उक्त निर्णय कर दिया। अपीलान्ट को गलत तौर से पश्चावर्ती अतिक्रमी मानकर न्यायालय ने तीन माह की सिविल कारावास से दण्डित किया है। जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा बिना मौके की जांच किये उक्त निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे ।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 154 रकबा 5.46 हैक्टर के 0.003 हैक्टर पर पुख्ता मकान व बाड़ कर गैर मु0 चारागाह पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया के तहत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है ,जिसमें काई कानूनी त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने खसरा नंबर 1025/2 रकबा 9.93 हैक्टर किस्म गै0मु0 रड़ा में से 0.02 हैक्टर पर ईंट, सीमेन्ट, टिनशैड, रोड़ी डालकर अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उनके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित हो। ऐसी स्थिति में तहसीलदार खेतड़ी द्वारा इस प्रकरण में की गई कार्यवाही मेरी राय में विधिसम्मत प्रतीत होती है। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का आदेश दिनांक 12.08.2016 मु0 नंबर 40/2016 उनवानी सरकार बनाम श्रवण सिहं यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(एम0आर0 बामनिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 26.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बामनिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू